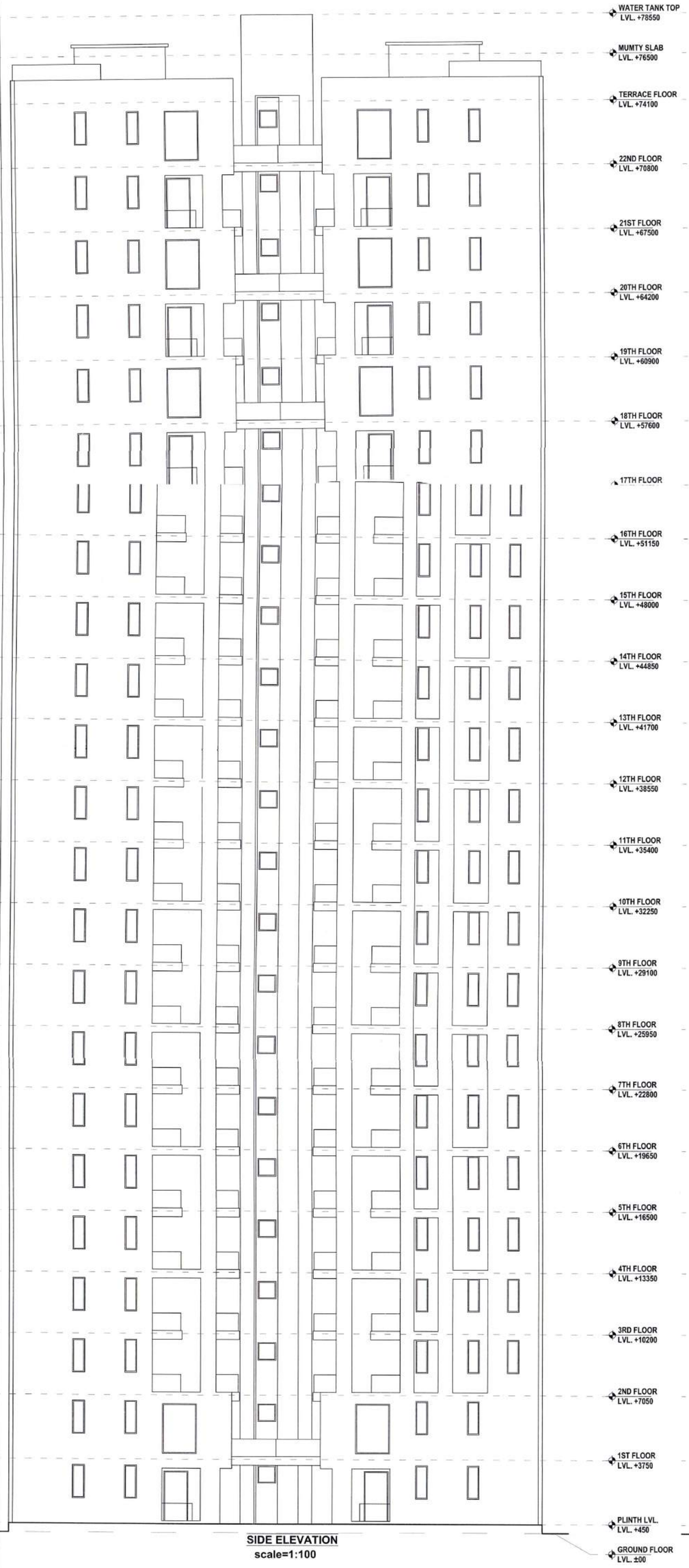

SIDE ELEVATION
scale=1:100

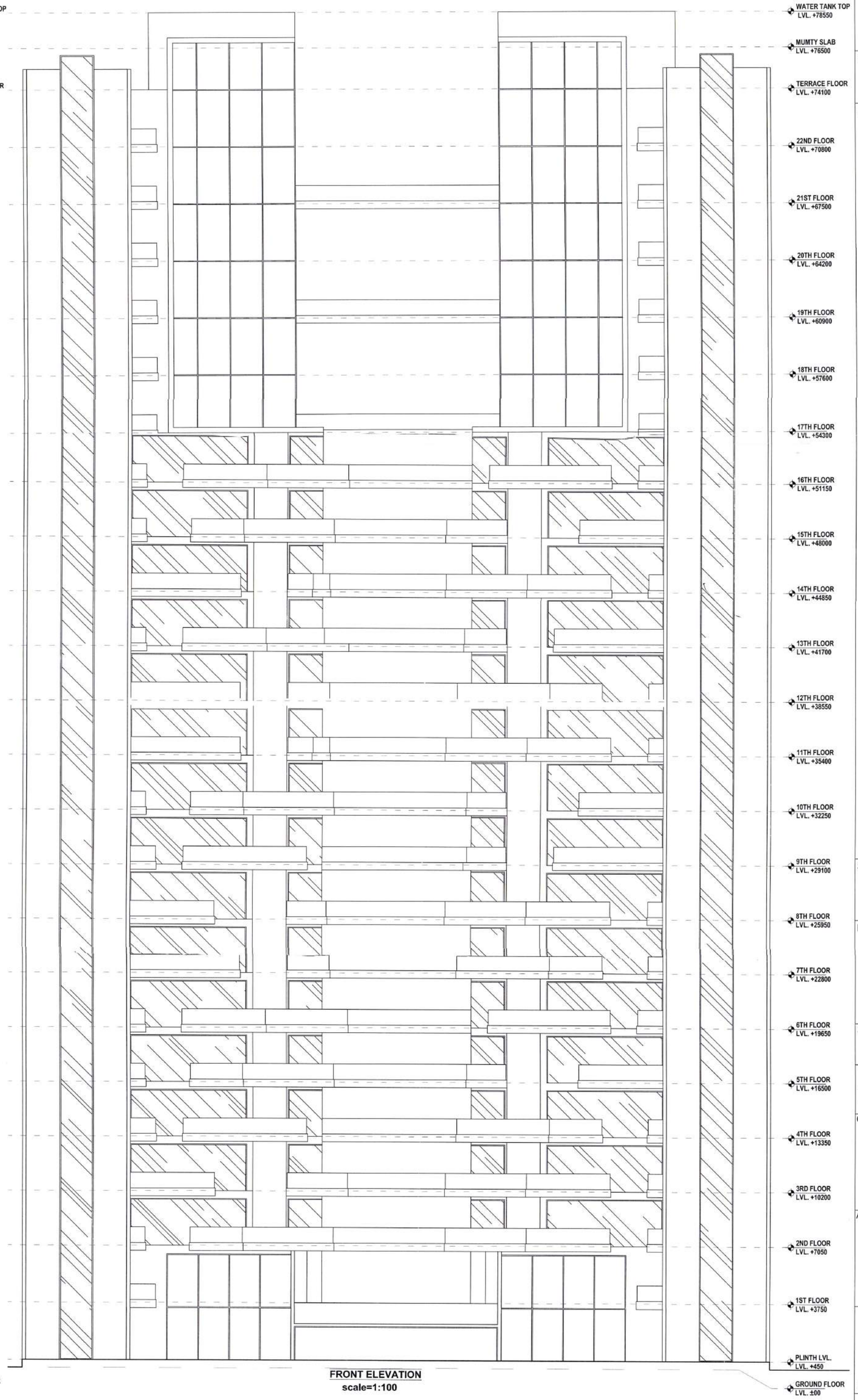

FRONT ELEVATION
scale=1:100

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING -3 (I-OAK)
SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP
AT BAGHAMAU VILLAGE,LUCKNOW

NOTES

KEY PLAN

प्रतिबन्ध

1 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है।
2 कॉमन शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार सुझावेय अनिवार्य होगा।
3 स्थल की स्टरक्चरल ड्राइंग व डिजाइन, डिपार्टमेन्ट आफ सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर कालेज, के प्रोफेसर उप एफएनेड खान द्वारा पत्रांक–IET/CE/MZK-C & T/2018-3519 Date- 14th November 2018 के माध्यम से पैट वाराक्स प्रस्तुत की गयी है। तद्नुसार स्थल पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करना होगा।
4 लैण्ड स्कोपिंग प्लान व सर्विस प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण कराये होंगे।
5 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रांक 2018/52087/Lkw/Lucknow/3364/JD दिनांक 23.10.2018 के निर्देशों का पालन करना होगा।
6 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सीवर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8 लेबर एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा तथा लेबर सेस निर्माण लागत का 1 प्रतिशत (दिये गये शपथ पत्र दिनांक 05.12.2018 के अनुसार) सम्बन्धित विभाग में जमा कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
9 स्थल पर सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
10 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा। स्वीकृत तत्सम्बन्ध मानचित्र की शर्तें प्रकरणगत मानचित्र पर अंकित होंगी।
11 यदि कोई रेनपानी निकासी है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अधिग्रहण जमा करना होगा।
12 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यदि कार्यालय उप्रा प्रदेश उत्तर प्रदेश के नियम अधिनियम धारा की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिलिपि सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि नियमन अधिनियम के लिए किया जाता है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
स्वीकृत
परमिट संख्या 42994
दिनांक 12-09-2018
स्वीकृत की वैधता दिनांक 11-09-2023
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SITE NAME

SHALIMAR ONE WORLD

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

SCALE	DATE
1:100	MAY-2018

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा भवन उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 एंव 2016 तथा सम्यक शासनादेशो के अनुरूप तैयार किया गया है।

CLIENT

ANS DEVELOPERS PVT. LTD.
[redacted]
REGD. OFFICE 308, TULSIANI CHAMBERS ,
NARIMAN POINT, MUMAI -400021

ARCHITECT

42 mm
D 102 Dr. Ambedkar Colony
Andheria Modh, New Delhi.

Praveen
PRAVEEN KUMAR PATEL
ARCHITECT
CA/2012/54689

For ANS Developers (P) Ltd.
Director

ARCHITECT'S SIGNATURE | OWNER'S SIGNATURE

DRAWING NUMBER - GH/FIRE - 09

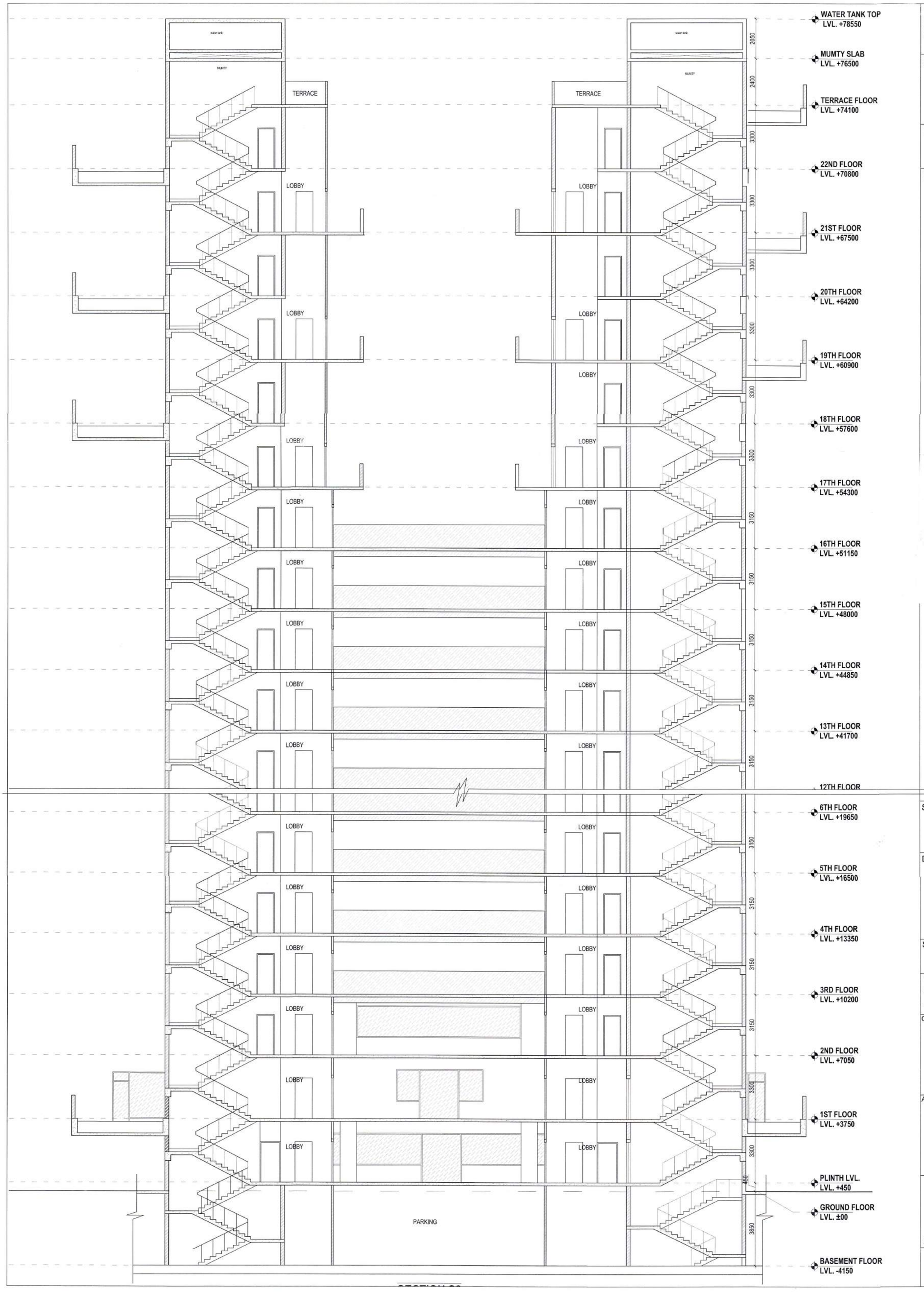

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING -3 (1-OAK)
SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP
AT BAGHAMAU VILLAGE,LUCKNOW

NOTES

KEY PLAN

प्रतिबन्ध

1 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है।
2 वन शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
3 स्थल का स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाइन, डिपार्टमेन्ट आफ सिविल इंजीनियरिंग, आई०ई०टी० कालेज, के प्राफेसर डा० एम०जेड खान द्वारा पत्रांक–**IET/CE/MZK-C & T/2018-3519 Date- 14th November 2018** के माध्यम से वैट कराकर प्रस्तुत की गयी है। तदानुसार स्थल पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करना होगा।
4 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
5 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रांक 2018/52687/Lkw/Lucknw/3364/JD दिनांक 23.10.2018 के निर्देशों का पालन करना होगा।
6 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर सिस्टम का स्थल पर अभिष्थापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8 लेबर एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा तथा लेबर सेस निर्माण लागत का 1 प्रतिशत (दिये गये प्रारूप पत्र दिनांक 05.12.2018 के अनुसार) सम्बन्धित विभाग में जमा कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
9 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
10 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा। स्वीकृत तलपट मानचित्र की शर्तें प्रश्नगत मानचित्र पर प्रभावी होंगी।
11 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
12 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

धारा 5(क) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस अधिनियम अथवा स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि मिश्रित उपयोग के लिए किया जाना नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 42994
दिनांक 12-09-2018
स्वीकृत की वैधता दि० 11-09-2023
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SITE NAME

SHALIMAR ONE WORLD

DRAWING TITLE

SECTION

SCALE	DATE
1:50	MAY-2018

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा भवन उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 एंव 2016 तथा सम्यक शासनादेशो के अनुरूप तैयार किया गया है।

CLIENT

ANS DEVELOPERS PVT. LTD.
[redacted]
REGD. OFFICE 308, TULSIANI CHAMBERS ,
NARIMAN POINT, MUMAI -400021

ARCHITECT

42 mm
D 102 Dr. Ambedkar Colony
Andheria Modh, New Delhi.

Praveen
PRAVEEN KUMAR PATEL
ARCHITECT
CA/2012/54689

ARCHITECT'S SIGNATURE

For ANS Developers (P) Ltd.
Director

OWNER'S SIGNATURE

DRAWING NUMBER - GH /FIRE- 10